तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 42 / 2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.6.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी दिनेश कुमार पुत्र बदारामजी माली, जाति– माली, निवासी– लक्ष्मण टेकरी के पास, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बायोसा ट्रेडर्स, मैन मार्केट, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल– निलम्बित), कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 24.01.2022 को फर्म बायोसा ट्रेडर्स, मैन मार्केट, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी दिनेश कुमार पुत्र बदाराम जी माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand)** का नमूना संख्या S-1622, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./319/ Act/2022/308 दिनांक 15.2.2022 में Misleading पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 53 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी दिनेश कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 07.6.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार की दिनांक 07.6.2024 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी की फर्म बायोसा ट्रेडर्स में प्रतिवादी दिनेश कुमार से **Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand)** का नमूना लेने की कार्यवाही विधिवत सम्पादित नही की गई है एवं न ही मौके पर सम्पादित की गई है। नमूना लेने की कार्यवाही के दौरान स्वतंत्र गवाह मौके पर उपस्थित नही थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के खाली प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करवाये थे। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। यह कि प्रतिवादी को उक्त खाद्य पदार्थ की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भी नही भेजी गई है, जिससे प्रतिवादी दिनेश कुमार रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है, जो ....ल...	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:52:20 IST
Reason: SelfAttested
प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 42 / 2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की मिल में जारी हुए
	उक्त अधिनियम की धारा 46(4) का उल्लंघन है। यह कि प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ को सप्लायरं फर्म से पैकिंग अवस्था में क्रय किया था, जिसका बिल कहीं गुम हो गया है। यह कि प्रतिवादी दिनेश कुमार ने उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण व पैकिंग नही की है। प्रतिवादी द्वारा जिस अवस्था में उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया, उसी अवस्था में ही विक्रय किया जाता है। यह कि Misleading खाद्य पदार्थ के निर्माण व पैकिंग हेतु निर्माता फर्म जिम्मेदार है, इसमें प्रतिवादी दिनेश कुमार को कोई दोष नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता को पक्षकार नही बनाया है, जिससे आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का यह न्याय निर्णयन आवेदन पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण कानूनन परिपोषणीय नही है। यह कि प्रतिवादी दिनेश कुमार द्वारा अब मिसलिडिंग खाद्य पदार्थो को विक्रय करना बन्द कर दिया है। उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल में भी निर्माता द्वारा सुधार कर लिया है, इसलिये निर्माता फर्म द्वारा की गई गलती के लिये प्रतिवादी को आरोपित कर दोषी नही माना जा सकता है। प्रतिवादी दिनेश कुमार, खाद्य पदार्थो के ट्रेडिंग का कार्य करता है व रिटेलर विक्रेता है जो दूसरी फर्मो से पैकिंग खाद्य पदार्थ क्रय कर पैकिंग अवस्था में ही जरिये बिल बेचता हैं। प्रतिवादी छोटा व्यापारी है एवं यह उसकी प्रथम गलती है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी दिनेश कुमार के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 24.01.2022 को समय 5.00 पी.एम. पर फर्म बायोसा ट्रेडर्स, मैने मार्केट, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। फर्म बायोसा ट्रेडर्स, मैन मार्केट, जावाल में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार पुत्र बदाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– लक्ष्मण टेकरी के पास, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो फर्म बायोसा ट्रेडर्स में आम जनता को खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) का विक्रय करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार पुत्र बदाराम जी माली को गवाह श्री [illegible] कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:52:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 42/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने फर्म बायोसा ट्रेडर्स की दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) के 33 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 175 ग्राम) में से Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) के 8 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 175 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) की कीमत राशि रुपये 320/– (रुपये तीन सौ बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार पुत्र बदाराम जी माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खरीदशुदा Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) के दो–दो पैक्ड पाउचेज को मिलाकर टेप से चिपकाकर 4 पैकेट बनाये तथा लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1622, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) के चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1622 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार पुत्र बदाराम जी माली व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार व उक्त गवाह श्री विशाल सिंह तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.01.2022 को ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:52:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 42/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की मिल में जारी हुए
	नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 24.1.2022 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म बायोसा ट्रेडर्स, मैन मार्केट, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता व खाद्य कारोबारकर्ता दिनेश कुमार पुत्र बदाराम जी माली से खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) के पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 175 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) के नमूना संख्या S-1622 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./319/Act/2022/308 दिनांक 15.2.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a) and 3(1)(zf)(B)(ii) के अर्न्तगत Misleading पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michis's Brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया एवं न ही ऐसा कोई बिल इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार पुत्र बदाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– लक्ष्मण टेकरी, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बायोसा ट्रेडर्स, मैन मार्केट, जावाल ने Misleading खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 53 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरूद्ध प्रतिवादी दिनेश कुमार स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-2/2012 दिनांक 05.12012 के द्वारा प्रदत .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:52:20 IST
Reason: SelfAttested

न्याया. प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.42/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 53 के तहत Misleading खाद्य पदार्थ Sugar Boiled confectionery (Michi's Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी दिनेश कुमार पुत्र बदाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– लक्ष्मण टेकरी के पास, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बायोसा ट्रेडर्स, मैन मार्केट, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी दिनेश कुमार पुत्र बदाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– लक्ष्मण टेकरी, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 12.7.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:52:20 IST
Reason: SelfAttested